

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता के लिए जागरूकता के साथ हर तरफ जुर्माना किया जाए
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 10 दिसम्बर । शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए कचराघरों से मुक्त करने की मुहिम निरन्तर चलाई जा रही है। इसी के साथ कचरा मुक्त स्थलों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण किया जाकर क्षेत्रीय नागरिकों के माध्यम से दीपदान कराया जा रहा है ताकि आसपास के लोग वहां दोबारा कचरा नहीं फेक सकें। कचरा मुक्त हुए स्थलों के नागरिकों का मानना है कि शहर से सारे कचरा घर समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है वह सराहनीय होकर नागरिकों में सकारात्मक सोच पैदा करने वाला है। मगर सफाई के लिए जागरूकता के साथ हर तरफ जुर्माना की व्यवस्था भी कायम रहे ताकि इधर उधर कचरा फेकने वाले आदतन लोगों को सबक मिल सके। शहर के तमाम वार्डों में कई लोगों ने अपने खाली भूखण्ड छोड़ रखे हैं जो वर्षों से कचरा स्थल के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। ऐसे भूखण्डधारियों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाए ताकि रतलाम शहर को कचरा मुक्त कर स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान मेरी शान स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों पर बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की रीना मालवीय, फातेमा शेख, नाजनीन, नसीम और जया शर्मा सहित

इनकी टीम ने कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

इसके आवा जवाहर नगर सी कालोनीए अलकापुरी सर्कलए विनोबा नगरए गांधी नगर राधा-कृष्ण मंदिर के सामनेए अलकापुरी सीतला माता मंदिर के पासए गुजरात मैरिज हॉलए सज्जन मिल बाहर की चालए 80 फीट रोड वैषाली गार्डन के पीछेए जैथ पब्लिक स्कूलए षारदा गौरव स्कूलए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए सनसिटी गेट नम्बर 2ए राज रेस्टोरेंट के पीछे नेशनल बैंक के पासए सज्जन मिल गेटए पद्मश्री की गलीए गणेश नगर पानी की टंकी के पासए तिरूपति नगर मंदिर के पीछेए जवाहर नगर गणेश मंदिरए अलकापुरी ऑटो स्टैण्डए राजीव नगर उद्यानए अलकापुरी अम्बे चौक पर स्वच्छता का संदेश देती रांगोली बनाई गई।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
फुटेज के आधार पर किया जा रहा है जुर्माना
गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 10 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व अतिक्रमण करने पर राजेश सांकलाए लोकेन्द्र सज्जन मिल रोडए गगन दासवानी काटजू नगर पर 1000.1000ए टीकमदास दासवानी काटजू नगर पर 500 व घनश्याम कुमावत सैलाना रोड पर 250 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 10 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पतियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टूटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

49 दिनों में 73 वॉल्व व 375 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण
2 सार्वजनिक षौचालयों की करवाई पाईप फिटिंग

रतलाम 10 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 10 दिसम्बर तक 73 वॉल्व व 375 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 10 दिसम्बर गुरुवार को कल्याण नगर कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग शक्ति नगर में कुल 7 पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही सखवाल नगर गौशाला के पास विरियाखेड़ी के सार्वजनिक शौचालय/माड्यूलर टायलेट/मूत्रालय की पाईप फिटिंग करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य उपयंत्री श्री सुहास पंडित श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

प्रताप नगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 37ए05ए253६. संपत्तिकर व 10ए13ए125६. जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 10 दिसम्बर । पासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी उद्योग-धन्धे में गिरावट सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुफ्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये हैं जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर जलकर दुकान गुमटी किराया लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुफ्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54ए244६.

व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439ए. व जलकर 29ए500ए.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424ए. व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर 45ए500ए.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 55ए093ए. व जलकर 43ए980ए. की एक मुप्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित षिविरों मेें 37ए05ए253ए. संपत्तिकर व 10ए13ए125ए. जलकर की राशि जमा कराई।

वाड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वाड क्रमांक 28 के लिये 11 दिसम्बर को प्रताप नगर उद्यान के पासए वाड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगरए वाड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहाए वाड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वाड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वाड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वाड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वाड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वाड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेसन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुप्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वाड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वाड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुप्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप इयूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 12 मवेशी

स्वच्छंद विचरण करने वाले 364 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 10 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 10 दिसम्बर तक 376 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया जिससे 12 मवेशियों को नगर के प्रमुख स्थानों से पकड़कर गौशाओं में भेजा गया। नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 10 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 376 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 10 दिसम्बर गुरुवार को आनन्द कालोनीए काटजू नगरए मोहन नगरए राम मंदिरए कॉलेज रोडए मोचीपुराए शैरानीपुरा आदि क्षेत्रों से 12 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/10ण12ण2020धन.पा.निगमए रतलाम.